

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 134031

पटना, दिनांक 31-12-12

ग्रा0वि06 (SGSY/NRLM)10/12

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव (लेखा),
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बी0 आर0 एल0 पी0 एस0 (BRLPS) संस्था द्वारा राज्य के महिला कृषक के आमदनी एवं कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु क्रिन्यावित की जा रही योजनाओं के लिए प्रथम किस्त रूप में विमुक्त कुल केन्द्रांश की राशि रूपये-18.30 करोड़ (अठारह करोड़ तीस लाख) का देय अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि रूपये 600.10 लाख (छः करोड़ दस हजार) के विरुद्ध अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना मद में देय अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि रूपये-174.02 लाख (एक करोड़ चौहतर लाख दो हजार) का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-132424 दि0-13.12.2012
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु NIRD, Hyderabad के पत्र संख्या- Lr.No.NIRD/MKSP/BRLPS/2012 दिनांक-22.03.12 द्वारा बी0 आर0 एल0 पी0 एस0 (BRLPS) संस्था द्वारा राज्य के महिला कृषक के आमदनी एवं कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु क्रिन्यावित की जा रही योजनाओं के लिए प्रथम किस्त रूप में विमुक्त कुल केन्द्रांश की राशि रूपये-18.30 करोड़ (अठारह करोड़ तीस लाख) का देय अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि रूपये 600.10 लाख (छः करोड़ दस हजार) के विरुद्ध अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना मद में देय अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि रूपये-174.02 लाख (एक करोड़ चौहतर लाख दो हजार) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटित की जाती है ।

- 2) राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-132424 दिनांक- 13.12.2012 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है।
- 3) आवंटित राशि मुख्य शीर्ष-मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, विपत्र कोड-पी02501067890101, विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान बेतनादि के अलावे के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलनीय है।
- 4) आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव (लेखा), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना से वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8593वि(2) दि0-27.11.07 में निहित प्रावधान के अंतर्गत की जायेगी ।
- 5) ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-3873 दि0-12.04.06 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561वि0(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका-2 में निहित प्रावधानों को प्रभावहीन किया गया है । राशि का व्यय वित्त विभाग परिपत्र संख्या-2561वि0(2) दिनांक-17.04.98 में निहित निदेश के आलोक में व्यय की जायेगी ।

- (6) अवर सचिव (लेखा), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि 'आशा' (ASA) संस्था द्वारा राज्य के सीमान्त महिला कृषक को बढ़ावा देने हेतु क्रिन्यावित की जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित राशि की निकासी कर SRLM हेतु खोले गये बैंक खाता संख्या-8531101010676 केनरा बैंक, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना में जमा करेंगे।
- (7) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी0 आर0 एल0 पी0 एस0 उक्त राशि की निकासी कर आवंटित राशि बी0 आर0 एल0 पी0 एस0 संस्था को उपलब्ध करायेगे।
- (8) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बी0 आर0 एल0 पी0 एस0 भारत सरकार के द्वारा MKSP विशेष परियोजना के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में व्यय कि गये राशि के विरुद्ध भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धित का अनुश्रवण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र NIRD, Hyderabad, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, महालेखाकार, बिहार, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को उपलब्ध करायेगे।
- (9) इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 134031पटना, दिनांक 31-12-12

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 134031पटना, दिनांक 31-12-12

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 134031पटना, दिनांक 31-12-12

प्रतिलिपि- श्री के0 पी0 राव, परियोजना समन्वयक (SGSY-SP) & MKSP, NIRD, Hyderabad/ ग्रामीण विकास मंत्रालय, छटवी मंजिल सम्राट होटल, नई दिल्ली-110001/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन-सह-आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना/श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इसकी एक प्रति प्रशाखा-6 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव